राजस्थान सरकार
संसदीय कार्य विभाग

क्रमाँकः प0 6(1) संसद/1997 जयपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

विषयः— माननीय विधायकों के राजकीय आवासों के परिवर्तन/परिवर्धन सम्बन्धी नीति निर्धारण ।

इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 18.08.1999 एवं दिनांक 15.01.2010 के द्वारा माननीय विधायकों के राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्धन संबंधी नीति निर्धारित की हुई है, के संबंध में राजस्थान विधान सभा की गृह समिति, 2015–16 ने अभिमत प्रकट किया है कि यह नीति वर्तमान स्थिति में उपयुक्त प्रतीत नहीं होती है तथा इस नीति को जारी किए हुए लगभग 16 साल हो गये हैं, जिसमें परिवर्तन किया जाना नितान्त आवश्यक है। गृह समिति ने नवीन नीति निर्धारित करने की अनुशंषा की है ।

अतः माननीय विधायकों के राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्धन संबंधी वर्तमान नीति जो कॉलम संख्या–2 में अंकित है, के संदर्भ में विधानसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधन (कॉलम संख्या 3) में वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त की गयी सहमति (कॉलम संख्या–4) निम्नानुसार प्रदान की जाती है :–

क0सं0	प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रस्तावित		वित्त विभाग की टिप्पणी
	वर्तमान नीति के बिन्दु	प्रस्तावित संशोधन हेतु टिप्पणी	
1.	2.	3.	4.
1.	किसी भी विधायक राजकीय आवास में अतिरिक्त कमरा टायलेट, टीनशेड/काडशेड, पोर्च स्टोर रूम आदि का अतिरिक्त निर्माण नहीं किया जायेगा। ऐसा कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा जिससे आवास का स्वीकृत टाईप डिजायन बदलता हो तथा मकान के स्वीकृत पिलन्थ एरिया में किसी प्रकार की वृद्वि होती हो।	किसी भी विधायक आवास में अतिरिक्त कमरा, स्टोर, टायलेट इत्यादि का आर.सी.सी. अथवा टिनशेड से निर्माण नहीं किया जाये, जिससे आवास का स्वीकृत पिलन्थ एरिया में किसी भी प्रकार की वृद्वि होती है। परन्तु आगन्तुकों के बैठने के लिए छाया व गाडी की पार्किगं के लिए, यदि स्थान उपलब्ध हो तो शेड का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, शेड चारो तरफ से खुला हो एवं इसे किसी कमरे/स्टोर के लिए कार्य में न लिया जा सके।	यथा प्रस्तावित।
2.	किसी भी अकेले आवास की बाउन्ड्रीवाल को ऊँचा करने तथा निर्माण करने अथवा अतिरिक्त गेट निकालने, क्वार्टर में सड़क का निर्माण करने आदि कार्य नहीं किये जायें ।	किसी भी अकेले आवास में बाउन्ड्रीवाल को ऊँचा करने एवं निर्माण करने की स्वीकृति दी जाये (सुरक्षा की दृष्टि से)। अतिरिक्त गेट निकालने, क्वार्टर मे सड़क का निर्माण करने आदि कार्य नहीं किये जायें ।	यथा प्रस्तावित।
3.	किसी भी आवास में विलासितापूर्ण कार्य नहीं करवाये जायेंगे। इसलिए आवासों में विनायल फ्लोरिंग, सागवान के फैंसी कपबोर्डस, बिजली की फैंसी फिटिंग, रसोई में मार्बल फ्लोरिंग इत्यादि कार्य स्वीकृत नहीं किये जायेंगे ।	माननीय विधायकों के स्टेटस एवं समय के ध्यान में रखते हुए विधायक आवासों में टाईल फ्लोरिंग, लकड़ी के कपबोर्डस, बिजली की आधुनिक प्रचलित फिटिंग, रसोई में मार्बल फ्लोरिंग इत्यादि कार्यो की स्वीकृति दी जानी प्रस्तावित है ।	संशोधन में बिजली की आधुनिक प्रचलित फिटिंग के स्थान पर बिजली की प्रचलित फिटिंग प्रतिस्थापित (Replace) किया जावे।
4.	किसी भी आवास के सामान्य एवं विशेष मरम्मत सम्बन्धी ऐसे कार्य जो कि इस आवास की यथास्थिति में रखने से सम्बन्धित है तथा दीवारों व फर्श आदि की मरम्मत, खिड़की दरवाजे, बिजली की मरम्मत सम्बन्धी कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा रख–रखाव सम्बन्धी बजट से कराये जायेंगे तथा इनके लिए संसदीय कार्य विभाग को पूर्वानुमान नहीं भिजवायें जायेंगे।	यह बिन्दु यथावत रखा जाना प्रस्तावित है ।	–

क0सं0	प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रस्तावित		वित्त विभाग की टिप्पणी
	वर्तमान नीति के बिन्दु	प्रस्तावित संशोधन हेतु टिप्पणी	
1.	2.	3.	4.
5.	किसी आवास में उपरोक्त प्रकार के वर्णित कार्यो के लिए अपरिहार्य कारणों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सहमति से इस विभाग द्वारा विशेष स्वीकृति दी जा सकेगी जिसके कारण अंकित किये जावेंगे ।	यह बिन्दु यथावत रखा जाना प्रस्तावित है ।	–
6.	बिन्दु 1 से 4 तक वर्णित उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त परिवर्तन/ परिवर्धन सम्बन्धी कार्यो के लिए विधायक आवास में एक वित्तीय वर्ष में रूपये 15000/–(रू. पन्द्रह हजार मात्र) से अधिक की राशि स्वीकृत नहीं की जायेगी। विशेष परिस्थितियों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सहमति से विशेष स्वीकृति दी जा सकेगी। **वित्त विभाग के द्वारा प्रशासनिक विभाग के प्रस्ताव पर वित्तीय वर्ष 2010–11 में उक्त सीमा राशि में निम्नानुसार सहमति प्रदान की गयी, जो संसदीय कार्य विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 15.01.2010 द्वारा निम्नानुसार संशोधन किया गया है:–** (बिन्दु सं. 1 से 4 तक वर्णित उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त परिवर्तन/ परिवर्धन सम्बन्धी कार्यो के लिए विधायक आवास में एक वित्तीय वर्ष में रू0 50,000/– (रूपये पचास हजार मात्र) से अधिक की राशि स्वीकृत नहीं की जावेगी। विशेष परिस्थितियों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सहमति से विशेष स्वीकृति दी जा सकेगी ।)	परिवर्तन/ परिवर्धन से सम्बन्धी कार्यो के लिए विधायक आवास में एक वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत राशि की सीमा 2.50 लाख रूपये प्रस्तावित की जा सकती है । विशेष परिस्थितियों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सहमति से विशेष स्वीकृति दी जा सकती है ।	बिन्दु सं. 1 से 4 तक वर्णित कार्य के अतिरिक्त परिवर्तन/ परिवर्धन से सम्बन्धी कार्यो के लिए विधायक आवास में एक वित्तीय वर्ष के लिए सिविल नीति में स्वीकृत मदों के अध्यधीन स्वीकृत सीमा राशि रू. 50,000/– को बढ़ाकर, राशि रू. 1,00,000/– (रूपये एक लाख) निर्धारित की जाती है। विशेष परिस्थतियों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सहमति से विशेष स्वीकृति दी जा सकती है।
7.	किसी भी विधायक आवास में परिवर्तन/ परिवर्धन सम्बन्धी कार्यो के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उपरोक्त नीतिगत बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये ही सचिव, राजस्थान विधान सभा के माध्यम से इस विभाग को पूर्वानुमान भिजवाये जायेंगे ।	यह बिन्दु यथावत रखा जाना प्रस्तावित है ।	–

उपरोक्त नीति माननीय मुख्यमंत्री महोदया(वित्त) के अनुमोदन उपरान्त वित्त विभाग की आई.डी.संख्या 101604463 दिनांक 15.12.2016 के द्वारा दी गई सहमति के आधार पर प्रसारित की जाती है ।

(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर को उनके पत्रांक एफ 2(47) ससु/ विस/ 2016/13457–13460 दिनांक 28.03.2016 एवं पत्रांक एफ 2(47) ससु/ विस/ 2016 / 45955–58 दिनांक 07.11.2016 के क्रम में प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त निर्धारित नीति के अनुसार ही नोडल अधिकारी से जांच करवाकर गृह समिति से अनुमोदन प्राप्त कर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भिजवाएं ।
3. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री/ राज्यमंत्री, संसदीय कार्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
5. विशेषाधिकारी(एस), मुख्यमंत्री , मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
6. मुख्य अभियन्ता(भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वे कृपया अपने अधीनस्थ समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्दिष्ट करें कि भविष्य में उपरोक्त नीति को ध्यान में रखते हुए ही विधायकों के राजकीय आवासों में परिवर्तन/ परिवर्धन से संबंधित कार्यो के लिए सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर को पूर्वानुमान भिजवाएं।
7. सामान्य प्रशासन (ग्रुप–4) विभाग।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–4) विभाग
9. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली ।

23-12-16

शासन उप सचिव